पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं उपस्थित तथा रेस्पो

11/11/24 डेन्ट संख्या-1 स्वयं उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या-2 को जारी पंजीकृत डाक तामील रिपोर्ट रसीद पत्रावली पर प्राप्त हो चुकी है किन्तु उपस्थित पक्षकारान अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं 2 आपस में सगे भाई बहिन होना बताते हुए सरे इजलास अवगत कराया कि रेस्पोडेन्ट सं. 2

वयोवृद्ध होकर बीमार होने से अनुपस्थित है किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो में वर्णित कथनों की रेस्पोडेन्ट संख्या-1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 की ओर से अपील स्वीकार करने में पूर्ण सहमति है। प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सुनी गई तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वांछित दादरसी अनुसार राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम छोटी सादड़ी के वर्तमान खाता संख्या 567 में दर्ज आराजी संख्या 629 रकबा 0.65 हैक्टर भूमि के खातेदारान में अंकित नाम निर्मलाबाईपुत्री हीराराम एवं भगवतीलाल पुत्र हरिराम के साथ दर्ज नाम भंवरलाल पुत्र हरिराम की बजाय भरतलाल पुत्र हरिराम दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत अपील विरूद्ध ना.क्र.सं. 1653 दिनांक 19.3.2012 से हुई त्रुटि की शुद्धि हेतु अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज राजस्व ग्राम छोटीसादड़ी की खाता संख्या 691 में दर्ज आराजी संख्या 627 रकबा 0.08 है. गै.मु. आ.धा. में अपीलार्थी के दर्ज नाम भरतलाल पुत्र हरिराम दर्ज मालिक दर्ज करने का हवाला देते हुए रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075-78 प्रस्तुत की गई।

प्रकरण के संदर्भ में प्रचलित समस्त विधियों एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन

एवं अध्ययन किये जाने पर संज्ञान में आया कि अपीलार्थी श्री भरतलाल पुत्र हरीराम दर्जी एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 567 में दर्ज खातेदार भंवरलाल पुत्र हरीराम एवं अन्य सहखातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या-1 श्रीमदनलाल पुत्र हरीराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 श्रीमती निर्मलाबाई पुत्री हरीराम दर्जी राजस्व ग्राम करीमाबाडी के अन्य खाता संख्या 691 में दर्ज खातेदार अनुसार समान व्यक्ति प्रतीत होते है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 5618-3507-9394 एवं PAN CARD-NO. ADAPP8751A तथा EPIC NO. MP/40/318/333091 एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा अपीलार्थी के राजकीय सेवा अभिलेख अनुसार भरतलाल पुत्र हरीरामदर्जी अपीलार्थी का नाम दर्ज रिकार्ड है। परन्तु प्रस्तुत अपील आधार पर किसी व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर भंवरलाल पुत्र हरीराम दर्जी के बजाय भरत लाल पुत्र हरीराम दर्जी दर्ज किया जाना प्रचलित राजस्व विधियों में प्रावधित नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकारिता बिन्दु पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मय्या से कम हो।

जिला कलक्टर
[illegible] (राज.)